For a world without hunger

श्रमिक संवाद

प्रवासी श्रमिकों के हितार्थ जन प्रयासों का संकलन व प्रसारण

घोघरडीहा प्रखंड स्वराज्य विकास संघ (GPSVS)

जगतपुर, मधुबनी

प्रवासः मानव इतिहास की शत्त विशेषता

प्रवास मानव इतिहास की एक सतत विशेषता रही है, जो अक्सर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रेरित होती है। भारत में, श्रमिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रवासी श्रमिकों का है, जो आजीविका के अवसरों की तलाश में अपने शहरों से दूर चले जाते हैं। हालांकि, अर्थव्यवस्था में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, ये श्रमिक और उनके परिवार अक्सर सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे से बाहर रह जाते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट (2021-22) के अनुसार, भारत के लगभग 53 प्रतिशत वेतनभोगी श्रमिकों को किसी भी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलते, जिससे वे वित्तीय और स्वास्थ्य संबंधी अनिश्चित्ताओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं। यह स्थिति सबसे गरीब 20 प्रतिशत श्रमिकों के लिए और भी चिंताजनक है, जहां केवल 1-9 प्रतिशत लोगों को ही किसी प्रकार का लाभ मिलता है।

सामाजिक सुरक्षा पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और बहस का विषय बनी हुई है, क्योंकि अब भी कई लोग समाज के हाशिए पर मौजूद हैं। वे मुख्यधारा से नहीं जुड़े हुए हैं और उनके आस-पास बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी रहती है। सामाजिक सुरक्षा उपायों का महत्व तब और अधिक बढ़ गया जब COVID-19 महामारी ने दुनिया को प्रभावित किया। COVID-19 या कोरोना वायरस बीमारी 2019, एक घातक विषाणु संक्रमण है जो एक नए कोरोनावायरस के कारण होता है। यह पहली बार चीन के हुबेई प्रांत के वुहान में पाया गया था। तब से, इस महामारी ने कई लोगों की जान ली और उनकी आजीविका को नष्ट कर दिया। इसलिए कई लोग सरकारी उपायों पर निर्भर हो गए क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। COVID-19 के अलावा, भारत जैसे विशाल देश में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की आवश्यकता है, जहां कमजोर वर्ग की आबादी बहुत अधिक है और उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। महामारी के दौरान चलाई गई योजनाओं को जारी रखना आवश्यक है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग उन पर निर्भर हैं। इन योजनाओं की नई, बेहतर और लक्षित सेवाओं की आपूर्ति एक स्वागत योग्य कदम होगा, जिससे जरूरत मंदों तक लाभ को सटीक रूप से पहुंचाया जा सके। प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज की अनुपस्थिति के व्यापक प्रभाव होते हैं। ये श्रमिक अक्सर असंगठित क्षेत्र में अस्थिर नौकरियों में लगे रहते हैं, जहां उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ, स्वास्थ्य बीमा, विकलांगता कवरेज या अन्य आवश्यक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। वे जिन चुनौतियों का सामना करते हैं, वे बजटीय बाधाओं, निधियों के खराब प्रबंधन, प्रशासनिक अक्षमताओं और भ्रष्टाचार के कारण और भी बढ़ जाती हैं। वैश्विक रैंकिंग में भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की खामियों को उजागर किया गया है, जिससे व्यापक सुधारों और प्रभावी नीतिगत कार्यान्वयन की तात्कालिक आवश्यकता स्पष्ट होती है।

सामाजिक सुरक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने कई उपाय लागू कि, हैं, जैसे कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), कर्मचारी राज्य बीमा (ESI), और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)। हालांकि, ये नीतियां प्रवासी श्रमिकों के विशाल बहुमत तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि पात्रता प्रतिबंध, जागरूकता की कमी और प्रणालीगत अक्षमताएँ उन्हें सीमित कर देती हैं। इसके अतिरिक्त, ई-श्रम प्लेटफॉर्म जैसी तकनीकी प्रगति संभावनाएँ रखती हैं, लेकिन इसके प्रभावी होने के लिए व्यापक पहुंच और नियोक्ताओं की भागीदारी आवश्यक है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, यह आवश्यक है कि एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाए, जिसमें सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज, अनिवार्य नियोक्ता योगदान, लक्षित सरकारी सहायता और सफल योजनाओं का विस्तार शामिल हो। ब्राजील, जर्मनी और सिंगापुर जैसे देशों के अनुभव एक स्थायी और समावेशी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, ब्राजील का व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज, जर्मनी की सामाजिक बीमा प्रणाली और सिंगापुर का भविष्य निधि आधारित मॉडल भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण सीख प्रदान कर सकते हैं। यह कार्य प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के संघर्षों को उजागर करने और नीतिगत सुधारों और सामाजिक सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की तात्कालिक आवश्यकता पर बल देने का प्रयास करता है। इन श्रमिकों के लिए एक मजबूत सुरक्षा जाल सुनिश्चित करना न केवल आर्थिक आवश्यकता है, बल्कि एक नैतिक दायित्व भी है। सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देकर और इसे सभी के लिए सुलभ बनाकर, भारत एक अधिक समान और न्यायसंगत समाज की ओर बढ़ सकता है, जहां प्रत्येक श्रमिक, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि का हो, गरिमा और सुरक्षा के साथ जीवन व्यतीत कर सके।

-मो० अताउल्लाह
परियोजना समन्वयक

श्रमिक संवाद

अंक - 4

दिसम्बर-2024

वेल्टहुंगरहिल्फे एवं यूरोपियन युनियन के सहयोग से संचालित प्रवासी श्रमिक कौशल विकास कार्यक्रम के हितग्राहियों के लिए प्रकाशित

संपादक मंडलः
रमेश कुमार
जितेन्द्र कुमार
वासुदेव मंडल

संकलन एवं प्रस्तुति
अनिकेत नारायण
अर्चना कुमारी
मो. अताउल्लाह

स्रोत एवं प्रकाशक :
घोघरडीहा प्रखंड स्वराज्य विकास संघ (GPSVS)

ग्राफिक्स एण्ड मुद्रण :
संजीव ग्राफिक्स प्रिंटर्स एण्ड इंटरप्राईजेज
धरहराकोठी, नयाटोला, पटना-800004
मो.: 9199510161

केवल संस्थागत/सीमित वितरण हेतु

सम्पादकीय...

भारत में महिला, प्रवासी एवं बाल मजदूरों की समस्याएं

1 मई को दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। भारत में मजदूर दिवस का पहला उत्सव 1 मई, 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा मद्रास (चेन्नई) में आयोजित किया गया था। भारत में महिला, प्रवासी एवं बाल मजदूरों की समस्याएं बेहद चिंतनीय है। हमारे देश में कोरोना के कारण हुई राष्ट्रीय तालाबंदी के बाद हजारों प्रवासी मजदूर पैदल घर चले गए, जिससे प्रमुख कृषि राज्यों में मजदूरों की भारी कमी हो गई है। अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक समुदाय, इनमें से हजारों प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और अन्य जगहों पर अपने शहरों के लिए पैदल भी शहरों को छोड़ कर गए। प्रवासी मजदूरों को हो रही परेशानी आज भी यूं की यूं है। 100 मिलियन से 125 मिलियन के बीच लोग अपने गांवों, परिवारों और घरों को काम की तलाश में छोड़ देते हैं, जहां कहीं भी उन्हें काम मिलता है। वे फसल काटते हैं और हमें खिलाते हैं, सड़कों को साफ करते हैं, कारखाने चलाते हैं, सड़कें बनाते हैं और हमारे घर बनाते हैं। प्रवासी श्रमिक बड़े पैमाने पर आकस्मिक और दैनिक वेतन भोगी श्रम और असंगठित खुदरा पर निर्भर हैं। लॉकडाउन ने उनकी आजीविका के अवसरों को बुरी तरह प्रभावित किया है। रोजगार की अनिश्चितता, धन और संसाधनों की कमी ने प्रवासी मजदूरों को कहीं का नहीं छोड़ा। अधिकांश प्रवासी श्रमिक तंग जगहों में रहते हैं जहां शारीरिक दूरी बनाए रखना मुश्किल है। स्वच्छता और स्वच्छता सुविधाओं की कमी इस वर्ग को ऐसी महामारियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। वे आम तौर पर प्राथमिक कमाने वाले होते हैं, और उनके परिवारों का घर वापस आना पूरी तरह से इन प्रवासी मजदूरों पर निर्भर है। वे ज्यादातर दैनिक और यहां तक कि प्रति घंटा वेतन आय पर निर्भर हैं।

भारत में प्रचलित बाल श्रम के कारण देखे तो गरीबी बाल श्रम के मुख्य कारणों में से एक है। गरीबी, अनपढ़ और बेरोजगारी के कारण माता-पिता उन्हें स्कूलों में भेजने में असमर्थ हैं, इसके बजाय बच्चों को परिवार चलाने में उनकी मदद करने के लिए कहा गया ताकि गरीब माता-पिता अपने बच्चों को कम मजदूरी पर अमानवीय परिस्थितियों में काम पर भेज सकें। आपातकालीन स्थिति के दौरान साहूकारों की ऋण ग्रस्तता ऋण और ब्याज का भुगतान करने में खुद को मुश्किल पाती है, परिणामस्वरूप देनदारों को साहूकारों के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और फिर देनदार अपने बच्चों को भी उनकी सहायता करने के लिए घसीटते हैं ताकि ऋण का भुगतान किया जा सके। कुछ उद्योग हैं, जैसे कि चूड़ी बनाने का उद्योग, जहां अत्यंत उत्कृष्टता और सटीकता के साथ बहुत ही सूक्ष्म कार्य करने के लिए नाजुक हाथों और छोटी उंगलियों की आवश्यकता होती है। वयस्कों के हाथ आमतौर पर इतने नाजुक और छोटे नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें बच्चों से उनके लिए काम करने और कांच के साथ ऐसा खतरनाक काम करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, कश्मीर, कालीन बुनाई उद्योग, छोटी लड़कियों को हाथ से कढ़ाई करने के काम में लगाता है, बच्चों को लंबे समय तक एक ही मुद्रा बनाए रखने की आवश्यकता होती है और उनकी आंखों पर दबाव पड़ने से अक्सर स्थायी शारीरिक विकृति और आंखों को नुकसान होता है। सूरत (गुजरात) में और उसके आसपास, किशोरावस्था में लड़के बड़ी संख्या में हीरा काटने के कार्यों में लगे हुए हैं जिससे आंखों को अपूरणीय क्षति होती है।

असम के चाय बागानों में जहां 12 साल से कम उम्र के बच्चों को रोजगार देना प्रतिबंधित है, वहां काम करने वाली माताओं के लिए खाना लाने वाली लड़कियों को वापस रहने और काम में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। खनन कार्यों में बच्चों, ज्यादातर लड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

जहां पुरुष गड्ढों के अंदर खुदाई करते हैं, वहीं लड़के कोयले को सतह पर ले जाते हैं। बच्चे ज्यादातर कम उम्र से ही परिवार के पारंपरिक कामों को अपना लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक सुनार का बेटा सोना-स्मिथरी लेता है, या एक बढ़ई का बच्चा कम उम्र से बढ़ईगीरी लेता है। भारत में अधिकांश बाल मजदूर तथाकथित निचली जातियों, खानाबदोश, आदिवासी और मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। भारत में बड़े असंगठित क्षेत्र के कारण बाल श्रम को आसानी से देखा जा सकता है और चाय की दुकानों, ढाबों, छोटी दुकानों में, और निजी नौकरों और काम करने वाले लड़के के रूप में सस्ते श्रमिक और फास्ट वर्कर के रूप में काम पर रखा जा सकता है। भारत में लिंग वेतन अंतर 34 है यानी समान योग्यता के साथ समान कार्य करने के लिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 34 प्रतिशत कम मिलता है। औसत दैनिक वेतन के मामले में बड़ा वेतन अंतराल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आकस्मिक और नियमित श्रमिकों की पुरुष और महिला मजदूरी दरों में मौजूद है और शहरी क्षेत्रों में नियमित श्रमिकों के लिए यह अंतर कम है। जब बात महिलाओं की आती है तो यह स्थिति नौकरियों के संकट को और बढ़ा देती है। यहां तक कि लड़कियां अक्सर स्कूली परीक्षाओं में लड़कों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं, फिर भी उन्हें अपने कौशल के लिए उपयुक्त नौकरी नहीं मिल रही है।

प्रवासी मजदूरों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा :
''मुफ्त अनाज देना स्थायी हल नहीं, रोजगार बढ़ाने के हों उपाय''

सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को मुफ्त में अनाज दिए जाने पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि कोविड के बाद से लोगों को अगर रोजगार का नुकसान हुआ है, तो इसे हल करने की कोशिश होनी चाहिए। लंबे समय तक मुफ्त में अनाज देना इसका समाधान नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह टिप्पणी तब कि जब याचिकाकर्ता ने मुफ्त और सब्सिडी वाले अनाज का दायरा बढ़ाने की मांग की और केंद्र ने जवाब में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की जानकारी दी।

-रमेश कुमार सिंह
GPSVS

श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार
बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

बिहार सरकार

निर्माण कामगारों के निबंधन हेतु

बोर्ड द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है

श्रमिक बंधु स्वयं या **सहज वसुधा केन्द्र (CSC)** के माध्यम से बोर्ड के पोर्टल **www.bocw.bihar.gov.in** पर आवेदन कर सकते हैं।

- **निबंधित श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित 16 प्रकार की योजनाओं यथा :-** विवाह के लिए वित्तीय सहायता राशि ₹50,000/- (दो व्यस्क पुत्रियों के लिए), मातृत्व लाभ 90 दिनों के न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य राशि, पितृत्व लाभ राशि ₹6,000/-, शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता राशि ₹5,000/-, ₹10,000/-, ₹20,000/- एवं ट्यूशन फी, मृत्यु लाभ ₹2,00,000/- (स्वभाविक मृत्यु) ₹4,00,000/- (दुर्घटना मृत्यु) इत्यादि का लाभ ले सकेंगे।
- **निर्माण श्रमिक कौन :-** राज मिस्त्री, टाईल्स मिस्त्री, पेंटर, रेजा, हेल्पर, बढ़ई, लोहार, बिजली मिस्त्री, सेंन्ट्रींग मिस्त्री, वेल्डर, कंक्रीट मिक्सर, ईंट निर्माण मजदूर, रोलर चालक, मनरेगा श्रमिक (बागवानी एवं वानिकी छोड़कर) इत्यादि।
- **निबंधन हेतु अर्हत्ता :-** आयु वर्ग - 18 से 60 वर्ष, आवश्यक कागजात - आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, विगत एक वर्ष में नियोजक द्वारा निर्गत 90 दिन कार्य करने का प्रमाण-पत्र/स्व-घोषणा पत्र, रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो।

नोट : किसी तरह के शिकायत अथवा जानकारी के लिए संबंधित प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अथवा जिला के श्रम अधीक्षक कार्यालय अथवा बोर्ड के ई मेल ID biharbhawan111@gmail.com पर संपर्क करें।

निवेदक : सचिव, श्रम संसाधन विभाग- सह - अध्यक्ष, बोर्ड

राज्य कल्याण बोर्ड, निर्माण श्रमिकों के हितों के लिए सदैव तत्पर है।

श्रम संसाधन विभाग
बिहार सरकार

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024

दुर्घटना मृत्यु लाभ

अनुदान की राशि :- 2,00,000/-

आवेदन हेतु विहित प्रपत्र :- प्रपत्र-1

समयावधि :- मृत्यु की तिथि से 02 वर्ष के अंदर

आवश्यक कागजात :-

(i) मृतक के आश्रित / आश्रितों का आवासीय प्रमाण-पत्र।
(ii) अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची (आश्रित के निर्धारण के लिए)।
(iii) पोस्टमार्टम रिपोर्ट / अन्वेषण प्रतिवेदन या पंचनामा।
(iv) स्थानीय मुखिया / सरपंच / पंचायत समिति के सदस्य / जिला पार्षद के सदस्य या संबंधित शहरी क्षेत्र के वार्ड पार्षद द्वारा दुर्घटना के संबंध में दिया गया प्रमाण पत्र;
(v) मृत्यु प्रमाण पत्र।
(vi) मृतक के उम्र का सबूत।
(vii) मृतक के कार्य की प्रकृति से संबंधित प्रमाण पत्र।
(viii) आवेदक की श्रेणी (सामान्य / अनु0 जाति/अनु0 जन जाति) का स्व घोषणा पत्र।
(ix) आवेदक की बैंक खाता विवरणी की स्व अभिप्रमाणित प्रति।

श्रम संसाधन विभाग
बिहार सरकार

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024

छात्रवृत्ति

अनुदान की राशि :-

1. कक्षा 11वीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत हों, को प्रति वर्ष रु0 2,500/-
2. राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्र/छात्रा को प्रति वर्ष रु0 5,000/-
3. राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक में अध्ययनरत छात्र/छात्रा को प्रति वर्ष रु0 10,000/-

आवेदन हेतु विहित प्रपत्र :- प्रपत्र-3

समयावधि :- संबंधित कक्षा में पढ़ाई के दौरान

आवश्यक कागजात :-

(i) माता अथवा पिता जो कामगार या शिल्पकार हों के उम्र का सबूत।
(ii) माता या पिता का आवासीय प्रमाण पत्र।
(iii) कार्य की प्रकृति से संबंधित प्रमाण पत्र।
(iv) संबंधित मुखिया / वार्ड सदस्य पंचायत / सदस्य पंचायत समिति / या संबंधित वार्ड पार्षद द्वारा अभिप्रमाणित माता-पिता का फोटो। संस्थान के प्रधान द्वारा अभिप्रमाणित छात्र का फोटो।
(v) शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा अभिप्रमाणित छात्र/छात्रा का फोटो सहित संस्थान में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र।
(vi) शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा संबंधित छात्र/छात्रा का राज्य या केन्द्र सरकार के किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित नहीं होने का प्रमाण पत्र।
(vii) आवेदक की श्रेणी (सामान्य / अनु0 जाति/अनु0 जन जाति) का स्व घोषणा पत्र।
(viii) संबंधित छात्र/छात्रा की बैंक खाता विवरणी की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
(ix) कामगार/शिल्पकार एवं आवेदनकर्ता पुत्र / पुत्री का आधार कार्ड।

संघर्ष से स्व-रोजगार तक का सफर...

अफसाना खातून- उम्र 39 वर्ष

बिहार के मधुबनी जिले के अंधराठाढ़ी प्रखंड के बरसाम गाँव की रहने वाली एक महिला है। इनके परिवार में कुल पांच सदस्य है और अफसाना के पति भी एक श्रमिक है। अफसाना खातून एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में कार्य कर रहीं थी।

बरसाम गाँव में एक सामुदायिक बैठक सह कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान हमारे संस्था के कार्यकर्ता संजीत कुमार झा की इनसे बातचीत हुए और इन्होंने अपने यथा स्थिति के बारे में अवगत कराया। इसे देखते हुए संस्था के कार्यकर्ता ने प्रवासी श्रमिक केन्द्रित कौशल विकास प्रशिक्षण (महिलाओं के राज मिस्त्री प्रशिक्षण) कार्यक्रम में इनका नामांकन कराया और इन्होनें हमारे संसाधन व्यक्ति सह प्रशिक्षक कपिलदेव पासवान के द्वारा दिए जा रहे कौशल विकास प्रशिक्षण के अवसर का लाभ लेकर बहुत ही अच्छे तरीके से राज मिस्त्री के कार्यों, कार्य के दौरान उपयोग की जाने वाली औजारों के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल किया। इसके फलस्वरूप आज अफसाना एक कुशल राज मिस्त्री के रूप में कार्य कर रहीं हैं और जहाँ इन्हें दिहाड़ी मजदूर के रूप में सिर्फ 300 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से मिल रहा था वह अब बढ़कर 600 रूपये प्रतिदिन हो गया है।

इतना हीं नहीं हमने इनके और इनके पुरे परिवार के सदस्यों को सरकार द्वारा चला जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़कर भी इन्हें लाभान्वित किया है और अब ये कुशल राज मिस्त्री के रूप में कार्यरत है और इनके कार्य दिवस और आय दोनों में इजाफा हुआ है। अब इनकी मासिक आय 12000-15000 रूपये तक की हो जाती है। इन पैसों से ये अपने अपने परिवार का भरण-पोषण एवं बच्चों के शिक्षा व स्वास्थ्य पर खर्च कर रही हैं।

श्रम अधीक्षक अंधराठाढ़ी के द्वारा प्रमाण-पत्र वितरण

सफलता की कहानी: समग्र विकास के माध्यम से मारन गाँव का रूपांतरण

बिहार के मधुबनी जिले में मारन गांव को कभी व्यापक गरीबी, सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी और विकास के सीमित अवसरों का सामना करना पड़ा था। हालांकि, WHH-EU (वेल्थंगरहिल्फ और यूरोपीय संघ) द्वारा समर्थित घोघरडीहा प्रखंड स्वराज्य विकास संघ (GPSVS) के हस्तक्षेप से, यह गांव अब सामुदायिक विकास के लिए एक मॉडल बन गया है और इसे 'संतृप्त गांव' के रूप में मान्यता प्राप्त है, जहां हर घर प्रभावी रूप से सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ा हुआ है।

मारन गांव कई चुनौतियों से जूझ रहा था: आजीविका के अवसरों में कमी, स्वच्छता सुविधाओं और सुरक्षित पेयजल की कमी, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अपर्याप्त जानकारी, युवाओं में बेरोजगारी और आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की सहभागिता में कमी। इन मुद्दों को पहचानते हुए संस्था के कार्यकर्ताओं ने इस गाँव में एक व्यापक सामुदायिक विकास पहल शुरू की। सरकार के द्वारा चलाये जा रहे सामाजिक सुरक्षा योजनायें का लाभ पहुँचाने के लिए शिविर का आयोजन कर सारे प्रवासी परिवारों का आयुष्मान भारत कार्ड बनाया गया एवं मनरेगा पदाधिकारी से संपर्क स्थापित कर मनरेगा जॉब कार्ड भी बनाया गया। इसके तहत 200 से अधिक परिवारों को सालाना 100 दिनों की गारंटी कृत रोजगार मिले। एनएसएपी (राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम): बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को पेंशन योजनाओं से जोड़ा गया, जिससे उन्हें नियमित वित्तीय सहायता मिल रही है। मारन गाँव एक आदर्श गाँव के रूप में जाना जा रहा है। इस गाँव के प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है। संस्था के सम्मिलित प्रयासों ने न केवल जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि ग्रामीणों में सशक्तिकरण की भावना को भी बढ़ावा दिया है। मारन गाँव का परिवर्तन GPSVS एवं WHH-EU के अटूट समर्थन, सहभागिता एवं सहयोग का प्रमाण है।

कौशल विकास प्रशिक्षण एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ

बिहार के सुपौल जिले के ग्रामीण इलाकों में पशुपालन छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बकरी पालन, विशेष रूप से, कई परिवारों खासकर महिलाओं के लिए आय का एक स्थायी स्रोत बनकर उभरा है। हालाँकि, उचित बुनियादी ढाँचे की कमी, जैसे कि स्वच्छ बकरी शेड, और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली जैसे कि सोखने के गड्ढे की अनुपस्थिति, अक्सर पशुधन और पर्यावरण के स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करती हैं।

GPSVS के WHH-EU समर्थित परियोजना भारत में कोविड–19 के सामाजिक आर्थिक प्रभाव के आलोक में नागरिक सामाजिक संगठनों का क्षमतावर्धन कार्यक्रम अंतर्गत हमारे संस्था के कार्यकर्ताओं ने इस परियोजना के लक्षित गाँव डगमारा एवं सिकर्हट्टा के इस परिस्थिति को देखते हुए इस गाँव के सरकारी प्रतिनिधियों के साथ मिलकर जिला मजिस्ट्रेट (D.M), सुपौल से मिलकर उनके समक्ष इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया और बेहतर बुनियादी ढांचे की सख्त जरूरत और इसके सकारात्मक प्रभावों को प्रदर्शित किया।

डीएम विशेष रूप से सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण और परियोजना के सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण से प्रभावित हुए। गहन मूल्यांकन के बाद, जिला मजिस्ट्रेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके तत्पश्चात सुपौल जिले के सिकरहट्टा और डगमारा गांवों में बकरी शेड और सोखता (Goat Shade & Soakage Pit) के गड्ढे बनाने के लिए कुल 20 लाख 60 हजार रूपये की धनराशि को मंजूर दी। गुणवत्ता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जिले के इंजीनियरिंग विभाग से तकनीकी सहायता भी मिली। अब इस गाँव में बकरी शेड और सोखता गड्ढे के बन जाने से स्व–रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हुई है और स्वच्छता सफाई में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है।

CSOs / CBOs Networking & Coordination meeting at Madhubani

Mass Awareness Campaign on Health and WASH

Flood Relief Distribution to Flood Victims in Supaul.

प्रवासी मजदूर

अपनी जड़ों से दूर
बरगद की भांति फैलते है
और उन जड़ों को सींचते हैं
भारत के संस्कारों के पानी से।

प्रवासी
करते हैं अपनी भाषा पर गर्व
उसको आचरण में पिरोते है
विदेश में प्रवासी होते हैं
भारत से भी ज्यादा भारतीय।

प्रवासी
सहेजते हैं अपने संस्कारों को
अपनी संस्कृति को बनाकर आचरण।
विदेशों में बिखेरते हैं भारत की खुश्बू।

प्रवासी
अनकहे भावों को
शब्दों की बांसुरी में गाते है
अभिव्यक्त करते हैं प्रकृति को
झरनों की भाषा में।

प्रवासी
शब्दों की लाठियों से
प्रहार करते हैं कुरीतियों पर
तोड़ते हैं विषमताओं की कमर
अपने शब्द बाणों से

प्रवासी
लिखते हैं भारत के हिंदी को
भारत के लेखकों से भी बेहतर
उतारते हैं अपनी अनुभूतियों को
कैनवास के कागज पर।

प्रवासी
जीते हैं उन संस्कारों की सांसों से
जो उनके डीएनए में है
सुसुप्त से स्वप्न की तरह।
भारत को समेटे रहते हैं
अपने अस्तित्व में।

प्रवासी
आते हैं पक्षी की तरह
अपनी जड़ों में लगा कर
भारत की मिट्टी
फिर उड़ जाते हैं।
ले जाते हैं इस मिट्टी की खुश्बू
सात समंदर पार।

-अर्चना

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक प्रवासियों की पहूँच

है एक ऐसा जनकल्याण
जो है योजनाओं का भंडार
करता समस्याओं का समाधान
देता सबको सुख और दान
छात्रों को छात्रवृति है देता
वृद्धों को देता है पेंशन
विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाए
दुखदर्द उनके दूर भगाए
गरीबों का करता है कल्याण
देता उनको सुख वरदान
रोजगार का देता उपहार
सफल बनाता सबके व्यापार
हर मानव का करता वो कल्याण
तभी तो होता उसका सम्मान
लक्ष्य उसका सीधा साधा
यही विभाग का है आधार
शादी कराने की जिम्मेवारी
बेटिया को पढ़वाने की तैयारी
कर्मचारी सब है ऐसे
जैसे हो गिरधरधारी
घर घर जाकर देते सबको
योजनाओं का लाभ
दिनभर योजनाओं का कैंप लगाए
हर व्यक्ति को योजना समझाए
हर योजना का लाभ उठाए
सही समय पर योजना अपनाए
हर नारी का पोषण करता
थोड़ा सा कल्याण अस्त व्यस्त भी है
इसमें योजनाओं का ट्रस्ट भी है
हर कोई न करता विश्वास
नही मिलता सबको हर्षोल्लास
समाज कल्याण बने महान
यही है मेरा उद्देश्य ज्ञान।

-अनिकेत

अखबारों की सुर्खियाँ...

प्रभात खबर

सुखेत के कृषि विज्ञान केंद्र में 24 लोगों ने प्रशिक्षण में लिया भाग

सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई प्रणाली एवं प्रबंधन का दिया गया प्रशिक्षण

प्रभात खबर

जल स्वच्छता, स्वास्थ्य व शीतलहर से बचाव को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

प्रभात खबर

महादलित परिवारों में निःशुल्क गेहूं बीज बांटा

बीज वितरण में संस्था के लोग व अन्य .

रेलवे स्टेशन पर प्रवासी श्रमिक अधिकार विषय पर हुआ जागरुकता कार्यक्रम

दरभंगा, 30 दिसम्बर (तरुणमित्र)। जीपीएसवीएस टीम ने दरभंगा रेलवे स्टेशन के अधिकारियों के साथ नेटवर्क एवं समन्वय बैठक सह जागरूकता अभियान का आयोजन किया। जिसमें सुरक्षित प्रवास एवं प्रवासी श्रमिक अधिकार विषय पर चर्चा हुई था। बैठक की अध्यक्षता दरभंगा रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने की। बैठक में रेलवे सुरक्षा बल के प्रतिनिधि राधा राठौर एवं रोशन कुमार मिश्रा तथा राजकीय रेल पुलिस के निरीक्षक अभय कुमार ने भाग लिया। सफाई विभाग की ओर से दरभंगा रेलवे स्टेशन के मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक संतोष पोद्दार, जयराम पासवान, ममता देवी, सुशीला देवी ने भी भाग लिया। स्टेशन परिसर में लगभग 450 प्रवासियों को प्रवासी श्रमिक अधिकारों एवं सुरक्षित प्रवास की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई।

जल, स्वच्छता और शीतलहर से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम हुआ

यात्रियों को श्रमिक अधिकारों के बारे में दी गई जानकारी

दरभंगा जंक्शन

प्रवासी मजदूर की समस्या को लेकर कार्यक्रम आयोजित

कोविड 19 के सामाजिक आर्थिक प्रभाव पर मंथन

GHOGHARDIHA PRAKHAND SWARAJYA VIKAS SANGH (GPSVS)

Head Office : Village+Post- Jagatpur, Via-Ghoghardiha, Dist-Madhubani-847402 (Bihar) INDIA

91-9431025373, 9955494453 gpsvsjp@gmail.com www.gpsvs.org